

स्त्री विमर्श: एक चिन्तन

डॉ० मंजू पटेल

सहायक प्राध्यापिका (हिन्दी)

श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय

(हरिद्वार)

स्त्री विमर्श एवं समकालीन चिन्तन

स्त्री समकालीन चिन्तन का एक प्रमुख विषय है। हिन्दी साहित्य में करीब दो-तीन दशक से 'स्त्री विमर्श' पर चर्चाएँ हो रही हैं। स्त्री-विमर्श पर न केवल पुरुष विचारकों ने बल्कि स्त्री विचारकों ने भी अपना सक्रिय योगदान दिया है। किसी भी देश और समाज में स्त्री प्रायः दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि स्त्री सदियों से भेदभाव एवं शोषण सहते-सहते निशक्त हो गई है। आज जब कभी भी साहित्यिक चर्चा होती है तो 'विमर्श' शब्द स्वतः बहस के केन्द्र में आ जाता है। शब्द प्रयोग की दृष्टि से 'विमर्श' शब्द अत्यन्त प्राचीन है परन्तु आज यह शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। यह स्त्री शब्द के साथ होने पर एक विशिष्ट प्रकार की अर्थवत्ता देने लगता है। 'स्त्री-विमर्श' ऐसा लेखन है जिसने स्त्री के बारे में गहराई से सोचने-समझने के लिए ध्यान आकृष्ट किया है। स्त्री-विमर्श के जरिये स्त्री के शोषण, दमन, उत्पीडन की बातें सामने आ रही हैं। स्त्री किस प्रकार से अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व बना सकती है पितृसत्ता का विरोध कर शोषण से छुटकारा पा सकती है इस हेतु 'स्त्री विमर्श' ही ऐसा लेखन है जिसके द्वारा स्त्री-विमर्शकार स्त्री के उत्पीडन के साथ-साथ उन सवालों को भी उठा रहे हैं जिनसे स्त्रियों की उपेक्षा हुई है।

पुरुष प्रधान समाज ने उसका सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग किया। पुरुष के अत्याचार के विरुद्ध नारी मुक्ति के लिए भी आन्दोलन हुए। 'नारीवाद' भी एक ऐसा ही स्त्री-मुक्ति आन्दोलन है। सिमोन द बोउआ लिखती है "नारीवादी होने से मेरा तात्पर्य है कि कुछ खास स्त्री-मुद्दों पर वर्ग-संघर्ष से हटकर स्वतंत्र रूप से संघर्ष करना। इनके अनुसार वे पुरुष भी नारीवादी हैं जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में औरतों की स्थिति में परिवर्तन के लिए संघर्षरत रहे हैं।"

'नारीवाद' से जुड़ा स्त्री-विमर्श साहित्य सम्बन्धी विमर्श माना जाता है। पश्चिमी आलोचना क्षेत्र में बीसवीं शताब्दी के पश्चात् ही स्त्री-विमर्श को पर्याप्त स्थान मिला था। संगठित रूप से महिला आन्दोलन की शुरुआत फ्रांसिसी क्रान्ति के दौरान 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुई। जब स्त्रियाँ भी समस्त राजनैतिक जन-कार्यवाहियों में भाग ले रही थी उसी समय स्त्री-अधिकारों व उनके संघर्षों को समर्पित पहली पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था।

1789-90 में जब फ्रांसिसी क्रान्ति अपनी चरम सीमा पर थी, ओलिम्पी दि गूजे, (1748-93) युद्ध ने 'स्त्री और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा' पर एक पत्र तैयार करके 1791 में राष्ट्रीय असेम्बली में प्रस्तुत किया। इस घोषणा पत्र में स्त्रियों पर पुरुषों के शासन का विरोध करते हुए दोनों के लिए समान मताधिकार के साथ-साथ स्त्री-पुरुष के बीच सम्पूर्ण सामाजिक व राजनैतिक माँग की गई थी। इस सटीक नारीवादी समीक्षा के प्रत्युत्तर में क्रान्तिकारी व्यवस्था ने ओलिम्पी को मृत्युदण्ड दिया।

1884 में फ्रेडरिक एंगिल्स ने कहा कि स्त्री समुदाय की सच्ची मुक्ति की दिशा में पहला कदम पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा है। उनका मानना था कि पूंजीवादी समाज में मेहनतकश स्त्रियाँ निकृष्टतम कोटि के गुलाम होने के साथ-साथ यौन शोषण व उत्पीड़न का शिकार होती हैं।

19वीं शताब्दी में स्त्री-विमर्श पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखी पहली कृति बेबेल की नारी और समाजवाद (1879) आई। उसी तरह 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप और अमेरिका में स्त्रियों की कई यूनियनें संगठित हुईं। इनका मुख्य लक्ष्य स्त्री-श्रम पर पाबन्दियों के विरुद्ध संघर्ष करना था। 1858 में पहली बार उन्हें तलाक लेने का अधिकार मिला।

1871 में पेरिस कम्यून में स्त्रियों की शौर्यपूर्ण भागीदारी ने पूरे यूरोप की आम स्त्रियों को गहराई से प्रभावित किया। 1949 में फ्रेंच में सिमोन दि बोउआ द्वारा लिखित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अग्रगामी पुस्तक 'दि सेकंड सेक्स' प्रभावित हुई। इस पुस्तक का काफी मजाक उड़ाया गया लेकिन बाद में यही पुस्तक नारीवादी आन्दोलन की आधारभूमि बनी। 1961 में अमेरिका में जॉन एफ. कैनेडी ने अपनी पहल पर महिलाओं की स्थिति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया और स्वीकारा कि इस आयोग ने उन्हें एक प्रतिबद्ध नारीवादी बना दिया। 1960 में उदार नारीवादी आन्दोलन शुरू हुआ। इनमें प्रमुख रूप से—बेला अबलेक्स बेट्टी फ्रीडो, एलिजाबेथ आदि थे। इन नारीवादियों के आन्दोलन का सबसे बड़ा मुद्दा गर्भपात का था, जो कि अपने आप में एक बड़ी क्रान्तिकारी माँग थी। इन्होंने कहा कि समाज में पितृसत्तात्मक संरचना को बदला जाना चाहिए। इन सभी क्रान्तियों का भारत पर भी काफी प्रभाव पड़ा।

भारत में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कुछ पुरुष विचारकों ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की माँग की और शताब्दी के अन्तिम दशक में कुछ जागरूक स्त्रियों ने भी इसमें योगदान दिया। बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से गाँधी जी के आह्वान पर अनेक महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में पुरुषों के साथ बराबरी से भाग लिया लेकिन पचास के दशक में उन्हें फिर से घरों में वापस जाने के लिए कहा गया। यानी स्त्री सिर्फ पत्नी और माँ की

भूमिका में सन्तुष्ट जीवन बिता सकती है। इस धारणा को स्वीकार करने के साथ-साथ वह आत्मसात भी कर लेती थी। परन्तु नारी की मुक्ति की आकांक्षा उसके मन में ही रहती थी।

आजादी का संघर्ष आजादी के बाद के लगभग पच्चीस साल उसके बाद भी स्त्रियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसके क्या कारण हैं? इसकी जब खोज हुई तो पितृसत्ता को एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया। दहेज और बलात्कार आदि स्त्री शोषण की मुख्य समस्याएँ सामने आ रही थीं। इन समस्याओं से निपटने के लिए महिलाओं ने कदम उठाया तथा संगठन बनाये।

यद्यपि भारत में स्त्री के उद्धार की बातें उन्नीसवीं शताब्दी से शुरू हो जाती हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसायटी आदि ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया तथा रुढ़िवादिताओं का विरोध सशक्त ढंग से प्रारम्भ कर दिया था और अनेक प्रबुद्ध स्त्रियाँ भी इन बातों को स्वयं उठाने लगी थीं, किन्तु स्त्री मुक्ति की अवधारणा का वास्तविक विकास 1975 के बाद से ही सामने आता है। 1975 के बाद से ही भारत में नारीवादी आन्दोलन शुरू हुए तथा महिला संगठन बनाये गये। हिन्दी का स्त्री-विमर्श पश्चिम की नकल नहीं है। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' बौद्धकालीन 'थेरी गाथा' मध्यकालीन सूरदास, मीराबाई और तीस के दशक में महादेवी वर्मा ने 'श्रृंखला की कड़ियाँ' में नारी मुक्ति की जो आवाज उठाई, वह 'स्त्रीवादी-विमर्श' को पश्चिम की नकल मात्र मानने के तर्क को निराधार सिद्ध करती है।

हिन्दी साहित्य में नारी अधिकारों को वाणी देने वाली महादेवी वर्मा ने तीस के दशक में 'श्रृंखला की कड़ियों' में नारी अधिकार एवं नारी मुक्ति की आवाज उठाई थी। ये स्त्री से अपेक्षा करती है कि वह घर-परिवार की सीमा में ही न बँधे, यह दार्शनिक भी हो, गम्भीरतापूर्वक सोचे भी, घर-परिवार से बाहर देश-काल पर भी चिन्तन करे।

सन् 1950 के बाद हिन्दी कथा-साहित्य में संक्रमणशील परिस्थितियों को अभिव्यक्ति मिली। समाज में स्त्री और पुरुष का रूप बदल गया। आधुनिक नारी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना चाहती है। सदियों से वह परिवार में पिता, पति या पुत्र के अनुशासन में रही है। उसका अपना कोई अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। प्रभा खेतान मानवीय गरिमा का सवाल उठाते हुए कहती हैं कि अपने लिए स्त्री कैसा जीवन जीना चाहती है, वह अंततः उसे ही तय करना है। 'उपनिवेश में स्त्री' प्रभा खेतान की नारी-विमर्श सम्बन्धी रचना है।

'परिधि पर स्त्री', 'देह की राजनीति से देश की राजनीति तक' आदि पुस्तकों की लेखिका मृणाल पाण्डे ने अपनी पुस्तकों में नारीवाद से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर बेबाकी से प्रकाश डाला है। लेखिका ने जहाँ शोषित, प्रताड़ित ग्रामीण, शहरी, कामकाजी महिलाओं के दुःख-दर्द को प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है, वहीं इनके कल्याण के लिए भी बल दिया है। एक स्त्री का विदा गीत, बचुली चौकीदारिन की कढ़ी, चार दिन की जवानी तेरी, इनके मुख्य कहानी संग्रह हैं।

मैत्रेयी पुष्पा ने भी अपनी रचनाओं के द्वारा नारी-जीवन की समस्याओं एवं संवेदनाओं को प्रस्तुत किया है। इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री और पुरुष के बीच के सम्बन्ध को केट मिलेट की तरह काले और गोरे या फिर लेखक या स्वामी के रूप में परिभाषित किया है। 'स्त्रीत्व का मानचित्र' कहती हैं औरतों की लेखिका अनामिका का मानना है कि स्त्री-विमर्श का मूल स्वर प्रतिशोधात्मक नहीं है। यह स्त्री की मुक्ति की कामना, बराबरी, न्याय, स्वत्वबोध का स्वर है। अनामिका कहती हैं-दोषी पुरुष नहीं, यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों को लगातार एक ही पाठ पढ़ाती है कि स्त्रियाँ उनसे हीनतर हैं और उनके भोग का साधन मात्र।

हिन्दी साहित्य में स्त्री-विमर्श के इन प्रमुख हस्ताक्षरों की स्त्री-चिन्तन सम्बन्धी अवधारणाएँ क्या हैं, प्रस्तुत शोध आलेख में प्रमुख रूप से इसी पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। साहित्य में जो स्त्री-विमर्श है, उसके पीछे जो धारणाएँ हैं, वे मुख्यतः पितृसत्ता, यौन शुचिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय का अधिकार आदि हैं। पितृसत्तात्मक समाज में अभी तक पूँजी पीढी दर पीढी पुरुषों को उत्तराधिकार में मिलती रही है। सभी साधनों पर पुरुष का अधिकार है। नियम, कायदे-कानून, परम्परा, नैतिकता, आदर्श सब पुरुषों ने बनाए हैं। पितृसत्ता आज भी घर में अपनी बहू-बेटियों को घूँघट या बुर्के में कैद रखना चाहती है। पितृसत्ता स्त्री विमर्श का प्रमुख मुद्दा है। स्त्रीवादी लेखिकाएँ पितृसत्ता का विरोध कर स्त्री के लिए समाज में समान अधिकार चाहती है। स्त्री-मुक्ति के विमर्श में 'यौन मुक्ति' की बात बहुत उछाली गयी है। यौन शुचिता का प्रश्न यौन मुक्ति के नारे से बिल्कुल भिन्न है। स्त्री विमर्शकार लेखिकाएँ यौन शुचिता के प्रश्न को एक भिन्न दृष्टि से देखती है। स्त्री, पुत्री, पत्नी, माता आदि सभी रूपों में परमुखापेक्षिणी रहती है, यह कौन नहीं जानता। स्त्री को जड़ बनाने वाली आर्थिक समस्या ही है। नारीवादी विचारक स्त्री के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी मानते हैं। एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व की कल्पना प्रत्येक स्त्री का सपना है। मृणाल पाण्डे का कथन है कि 'नारी को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार हो, वह पुरुष की गुलाम न हो, स्त्री के अस्तित्व को उसके पुरुष से जुड़े सम्बन्धों तक न देखा जाए। स्त्री को समाज में दोगम दर्जा दिया जाता है, पितृसत्तात्मक समाज में उसका शोषण किया जाता है, यह बंधक की तरह जीवन यापन करती है। स्त्री के सम्पूर्ण विकास के लिए उसकी शोषण से मुक्ति, रुढ़िवादी संस्कारों से मुक्ति, नारीत्व के अभिशाप से मुक्ति होनी चाहिए।' प्रस्तुत शोधकार्य में कथा साहित्य से इतर इस विचार साहित्य को स्त्री विमर्श की अवधारणाओं को पहचानने का आधार बनाया जा रहा है।

स्त्री-विमर्श के सन्दर्भ में प्रमुख विचारकों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरुषों ने भी स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्नीसवीं शताब्दी से ही स्त्री के उत्थान को लेकर पुरुष विचारकों ने अपनी-अपनी मान्यताएँ व्यक्त की हैं। यहाँ पर डॉ. राममनोहर लोहिया को उद्धृत करना समीचीन होगा। लोहिया का मानना है कि “दुनिया में स्त्री को पुरुष के बराबर लाने के लिए वैधानिक अधिकारों की तो व्यवस्था हुई है, परन्तु इसके साथ-साथ उस मानसिकता में क्रान्तिकारी बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। जिसके चलते स्त्री को हीन करके आँका जाता है और स्त्री भी अपनी वैसी स्थिति को स्वीकारने में मजबूर होती है।” नारी मुक्ति का सवाल उठाते हुए विनोद मिश्र कहते हैं कि “नारी मुक्ति आज भी करीब-करीब सारी दुनिया के नारी समाज का नारा है। नारी मुक्ति पुरुषों से विरोध कर विनाश के जरिए नहीं, बल्कि नारी-पुरुष के बीच समानता के मानवीय सम्बन्धों को स्थापित करने के जरिए ही हासिल हो सकती है।” राजेन्द्र यादव, सुधीश पचौरी, मधुरेश, विनोद मिश्र, राजकिशोर, देवेन्द्र चौबे आदि प्रमुख ऐसे लेखक हैं जिन्होंने स्त्री-विमर्श को लेकर अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ :-

सोशल मीडिया (Whats app, Youtube, Internet) शोधार्थी के अपने विचार आदि।